



**भूमि सुधार उपसमाहर्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।**


दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या 45/17-18 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या - 45/17-18 में उल्लेख किया गया है कि- मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-08 खाता नं0-876 प्लॉट नं0- 3406, रकवा-0.02.60 हे0 भूमि हाल सर्वे खतियान में कैसर नुरी, पति एहसान अली के नाम से दर्ज है। खतियान के कैफियत कॉलम में काबिल लगान दर्ज है। वर्तमान खतियानी रैयत का मृत्यु हो चुका है एवं उनके पुत्र के द्वारा उपरोक्त भूमि के लगान निर्धारण हेतु आवेदन किया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-08 खाता नं0-876 प्लॉट नं0- 3406, रकवा-0.02.60 हे0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1980-81 से 10/- रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस वसूली हेतु खतियानी रैयत श्री नौशाद अली, पिता स्व0 कैसरनुसी के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है।</p> <p>अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेश नक्शा अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-08 खाता नं0-876 प्लॉट नं0- 3406, रकवा-0.02.60 हे0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1980-81 से 10/- रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस वसूली हेतु खतियानी रैयत श्री नौशाद अली, पिता स्व0 कैसरनुसी के नाम पर लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है।</p> <p>तदनुसार अभिलेख मूल में अग्रेतर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, मानगो को भेजें।</p>	

  
21/1/20  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धालभूम, जमशेदपुर।

  
21/1/20  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
धालभूम, जमशेदपुर।

दिनांक 196 दिनांक 17/2/2020

प्रतिलिपि - श्री लक्ष्मी कान्त सिंह, राजस्व उप निरीक्षक  
की पारित आदेश की प्रति अनुपालन हेतु  
प्रेषित।

  
अंचल अधिकारी  
मानगो